**(GI-5+7, GI-6, GI-8, GI-9, SI-2+4, SI-3 & VI-2)**
**DATE: 12.09.2019 MAXIMUM MARKS: 100 TIMING: 3¼ Hours**

**PAPER : AUDITING**

## DIVISION – A (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

**Answer (1-20) carry 1 Mark each**
**Answer (21-25) carry 2 Marks each**

1. Ans. c
2. Ans. d
3. Ans. a
4. Ans. d
5. Ans. b
6. Ans. a
7. Ans. c
8. Ans. d
9. Ans. a
10. Ans. d
11. Ans. d
12. Ans. a
13. Ans. d
14. Ans. a
15. Ans. c
16. Ans. d
17. Ans. d
18. Ans. a
19. Ans. b
20. Ans. c
21. **गलतः** किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत बैंक की वजह से किसी भी राशि को 'अतिदेय' है, अगर बैंक द्वारा तय की गई तारीख पर भुगतान नहीं किया गया है।
22. **सहीः** अगर कोई बकाया राशि मंजूर सीमा/निकास शक्ति से अधिक लगातार बची हुई हैं, तो एक खाता 'कम के बाहर' के रूप में माना जाना चाहिए।
23. **गलत** प्रबंधन एक पर्याप्त लेखा प्रणली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है जिसमें विभिन्न आंतरिक नियंत्रणो को शामिल किया गया है जो कि व्यापारिक के आकार और प्रकृति के अनुमोदन की सीमा तक है। आंतरिक निंयत्रण प्रणाली का रखरखाव प्रबंधन की जिम्मेदारी है क्योंकि आंतरिक नियंत्रण किया है इकाई के उद्देश्यों की उपलब्धि के बारे में तार्किक आश्वासन प्रदान करने के लिए प्रशासन/प्रबंधन के आरोप वाले उन लोगों द्वारा डिजाइन, कार्यान्वित और प्रत्याशित किया गया।
24. **सहीः** एक बार अंकेक्षण की रणनीति स्थापित की जायें, एक अंकेक्षण योजना को समग्र अंकेक्षण रणनीति में पहचान जाने वाले विभिन्न मामलों को संबोधित करने के लिए विकासित किया जा सकता हैं, जिससे अंकेक्षको के संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से अंकेक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। समग्र अंकेक्षण की रणनीति और विस्तृत अंकेक्षण की स्थापना अंसतत या अनुक्रमिक प्रक्रियाएँ नही होती है, लेकिन एक में परिवर्तन के परिणामस्वरूप दूसरे मे होने वाले परिवर्तनों से निकटता से अंतर–संबधित होते है।
25. **गलतः** अंकेक्षण के दौरान हुई परिस्थितियों में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप संपूर्ण (और, यदि लागू हो, भौतिक स्तर या लेने–देने, खाता शेष या प्रकटीकरण के विशेष वर्गो के लिए स्तर) के रूप में वित्तीय वक्तव्यों की भौतिकता को संशोधित करने की आचश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए, इकाई के व्यवसाय के एक प्रमुख हिस्से के निपटान का निर्णय), नई जानकारी, या लेखा परीक्षक की समझ में परिवर्तन और इसके संचालन को आगे अंकेक्षण प्रक्रियाओं के निष्पादन के परिणामस्वरूप।

**Division B-Descriptive Questions**
**Question No. 1 is compulsory**
**Attempt any four questions from the Rest.**

**Answer 1:**
**Examine with reasons (in short) whether the following statements are correct or incorrect : (Attempt any 7 out of 8)**

(i) **गलतः** विश्लेषणात्मक प्रविधियों के अनुसार ''विश्लेषणात्मक प्रविधिया'' का अर्थ वित्तीय सूचना का वित्तीय व गैर–वित्तीय डाटा के मध्य संबध के विश्लेषण से मूल्याकंन है।

(ii) **गलतः** मौलिक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया बड़ी संख्या के लेन–देनों पर अधिक लगता है जो समय के साथ पूर्वानुमानित होते है।

(iii) **सहीः** SA 240 के अनुसार ''वित्तीय वक्तव्यों की एक अंकेक्षण में धोखाधड़ी से संबंधित अंकेक्षक की जिम्मेदारी'', यह महत्त्वपूर्ण है कि प्रंबधन, जो शासन के आरोप में आरोप लगाने गये हैं, के साथ धोखाधड़ी की रोकथाम पर एक मजबूत जोर दिया, जो कम हो सकता है धोखाधड़ी के लिए अवसर और धोखाधड़ी का प्रतिरोध, जो लोगों को पहचानने और दंड की संभावना के कारण धोखाधड़ी नही करने के लिए राजी कर सकता था। इसमें ईमानदारी और नैतिक व्यवहार की संस्कृति बनाने के प्रतिबद्धता शामिल है, जिसे शासन के आरोपों से सक्रिय पर्यवेक्षण द्वारा प्रबलित किया जा सकता है।

(iv) **गलतः** SA 240 के अनुसार ''वित्तीय वक्तव्यों की एक अंकेक्षण में धोखाधड़ी में संबंधित अंकेक्षक की जिम्मेदारियों'', धोखाधड़ी वित्तीय रिपोर्टिग में जोड़–तोड़, मिथ्याकरण या परिवर्तन लेखाकन रिकॉडों दस्तावेज शामिल हो सकते है जिनमें से वित्तीय वक्तव्य तैयार किए गए है, या जानबूझकर चूक, घटनाओं के वित्तीय वक्तव्यों, लेन–देन या अन्य निजता जानकारी या मात्रा, वर्गीकरण, प्रस्तुति या प्रकटीकरण के तरीके से संबंधित लेखांकन सिद्धातों का गलत उपयोग।

(v) **गलतः** कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एक व्यक्ति किसी कम्पनी के लेखा परीक्षक के रूप में, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा, यदि उसका रिश्तेदार कम्पनी में **रु** 1,00,000 से अधिक के अंकित मूल्य की प्रतिभूति या हित धारण करता है।
इसलिए, AB & Co. XYZ के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होन के लिए अयोग्य है जैसे Mr. C रिश्तेदार है Mr. B के जो कि AB & Co. मे साझेदार है, XYZ लि.में अंकित मूल्य **रु** 2,00,000 की प्रतिभूतियाँ धारण करते है।

(vi) **गलतः** कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान लेखा परीक्षक को कम्पनी के बहीखातों तथा वाउचर का उपयोग करने के लिए लेखा परीक्षक का अधिकार देते है। वह कम्पनी से आवश्यक जानकारी तथा स्पष्टीकरण लेने के लिए अधिकृत है। अतः उन्हे मिनट बुक का निरीक्षण करने के लिए एक वैधानिक अधिकार है।

(vii) **गलतः** कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रवधानों के अनुसार, एक व्यक्ति कम्पनी में लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है अगर वह कम्पनी की कोई प्रतिभूति या हित धारण करता हों
चार्टर्ड एकाउंटेट के रूप में S लि. की अंकित मूल्य **रु** 950 की प्रतिभूतियाँ धारण करता है, वह S लि. में लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं है।

(viii) **गलतः** कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार लेखापरीक्षक के आवर्तक के प्रावधान उन प्राईवेट लि. पर लागू होते हैं, जिनकी प्रदत्त अंश पूँजी 20 करोड़ **रु**पये या अधिक तथा उन समस्त कम्पनियाँ पर जिनकी प्रदत्त अंश पूँजी उपर्युक्त सीमा से कम है, लेकिन बैंक तथा वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक उधार या सार्वजनिक जमा **रु** 50 करोड़ रूप से अधिक है।
हालांकि कम्पनी A एक प्राइवेट लि. कम्पनी हैं, फिर भी इसने राष्ट्रीयता बैंक से 50 करोड़ **रु**पये सार्वजनिक उधार लिया हैं, इसलिए यह लेखापरीक्षक के आवर्तन के प्रावधानों द्वारा अधीन होगा।

**{One Mark for Correct or Incorrect and 1 Mark for Explanation}**

**Answer 2:**
**(a)** **अग्रिम पर आंतरिक नियंत्रणों का आंकलनः** अंकेक्षक को अपने मौलिक प्रक्रिया की प्रकृति, समय तथा हद का निर्धारण करने के लिए अग्रिम पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रण की प्रभावदेयता पर परीक्षण पर परीक्षण करना चाहिए। सामान्यत, अग्रिम पर आंतरिक नियंत्रण में निम्न सम्मिलित करना चाहिएः

- बैंक को ऋणी के साख मूल्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात तथा बैंक की उपयुक्त प्राधिकरण से अनुमोदन को प्राप्त करने के पश्चात अग्रिम देना चाहिए।
- सभी आवश्यक प्रपत्र (उदाहरण समझौते, मांग वचन पत्र, बंधक पत्र इत्यादि) को अग्रिम करने से पूर्व पक्षो द्वारा निष्पादन करना चाहिए।
- अनुमोदन की शर्त की अनुपालना तथा फंड का अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए।
- पर्याप्त मार्जिन जैसा पत्र में निर्दिष्ट है, को ली गयी प्रतिभूति के विरूद्ध रखना चाहिए ताकि उसके मूल्य में किसी गिरावट को कवर किया जा सके। पर्याप्त मार्जिन की उपलब्धता की नियमित अंतराल पर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- यदि प्रतिभूमि को अंशो, ऋण पत्र इत्यादि की प्रकृति में है, उसके स्वामित्व की बैंक के नाम से अंतरित करना चाहिए तथा इस प्रकार की प्रतिभूति का प्रभावी नियंत्रण को प्रपत्रीकरण के भाग में रखना चाहिए।
- सभी प्रतिभूति जिसके पंजीकरण की आवश्यकता है, को बैंक के नाम में पंजीकृत होना चाहिए अन्यथा अन्य दस्तावेजों के साथ बैंक को स्वामित्व देने के लिए पर्याप्त है।
- बैंक के ग्रहण में वस्तु के मामले में समय की प्राप्ति पर पैकेज की विषयवस्तु की टेस्ट जांच करनी चाहिए। गोदाम को बैंक का निरीक्षक के अतिरिक्त संबंधित शाखा का उत्तरदायी अधिकारियों के द्वारा बारम्बार निरीक्षण करना चाहिए।
- बंधक प्रतिभूतियों का मूल्य का रिकार्ड करने के लिए आहरण अधिकार रजिस्टर को अद्यतन करना चाहिए।
- खाता को दोनो अधिकार तथा अनुमोदन सीमा के अंदर रखना चाहिए।
- सभी खाता जो अनुमोदन सीमा अथवा आहरण अधिकार से अधिक है अथवा अन्यथा अनियमित हैं, को नियमित रूप से नियंत्रण प्राधिकरण का नोटिस में लाना चाहिए।
- प्रत्येक अग्रिम खाता का परिचालन को कम से कम एक बार समीक्षा करना चाहिए तथा बड़े अग्रिम के मामलें में ज्यादा बारम्बार अंतराल मे करना चाहिए।

**{Any 8 Point Each 1/2 Mark}**

**Answer:**

**(b) नियंत्रक तथा महालेखाकार (कैग) का कर्तव्यः**

(i) **संघ तथा राज्यों की अनुपालन तथा खातों को जमा करना** – नियंत्रक तथा महालेखाकार इस प्रकार को खाता को रखने के लिए उत्तरदायी कोष कार्यालय अथवा विभाग द्वारा उसके नियंत्रण के अन्तर्गत अंकेक्षण तथा लेखा कार्यालय को पेश आरंभिक तथा सहायक खाता से संघ तथा प्रत्येक राज्य का खाता का अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। नियंत्रक तथा महालेखाकार संघ, प्रत्येक राज्य तथा विधान सभा वाली केंद्रशासित प्रदेश के उद्देश्य के लिए वार्षिक प्राप्ति तथा सपूर्ति के क्रमशः शीर्ष के अंतर्गत दिखाते हुए प्रत्येक खाता (उसके द्वारा अनुपालन खातो के मामले, विनियोजन खाता) में तैयार अथवा उसके द्वारा (अथवा सरकार अथवा उसकी तरफ से उत्तरदायी व्यक्ति) खातो का सकलन करेगा तथा उन खातों को संबंधित सरकार की सहमति से देय तिथि को अथवा उससे पूर्व राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अथवा विधान सभा वाली केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक को यह खाता देगा। **{1/2 M}**

1971 का कैग अधिनियम का संध तथा राज्य की सहायता प्रदान करने तथा सूचना को देने की उत्तरदायी से उसे मुक्त करने का प्रावधान है। नियंत्रक तथा महालेखाकार के लिए वह उत्तरदायी है अथवा विधानसभा वाली केंद्रशासित प्रदेश की सरकार को इस प्रकार की सूचना देगा जैसी उनको समय समय पर आवश्यक है तथा वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी में सहायता करेगा जैसा वे उचित रूप से पहुंचे।

(ii) **अंकेक्षण से संबंधित सामान्य प्रावधान** – यह नियंत्रक तथा महालेखाकार का कर्तव्य होगा –

(a) भारत का समेकित कोष तथा प्रत्येक राज्य तथा विधान सभा वाली प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश से सभी व्यय पर अंकेक्षण करना तथा रिपोर्ट करना तथा ज्ञात करना क्या खाता में दिखाया धन को सपूर्ति है जिसे कानूनी रूप से उपलब्ध है तथा सेवा पर लागू है अथवा उद्देश्य जिसके लिए उन्हे लागू किया अथवा प्रभारित किया तथा व्यय प्राधिकृत के अनुरूप है जो इसे संचालित करता हैः **{1 M}**

(b) आकस्मिक फंड तथा सार्वजनिक खाता से संबंधित सघ तथा राज्य का अंकेक्षण तथा रिपोर्ट करना,

(c) संघ अथवा राज्य का किसी विभाग में रखे अन्य सहायक खाता तथा सभी व्यापारिक, निर्मित तथा लाभ तथा हानि खाता पर अंकेक्षण तथा रिपोर्ट करना।

(iii) **प्राप्ति तथा व्यय का अंकेक्षण** – जहां पर किसी संस्था अथवा प्राधिकरण को पर्याप्त रूप से भारत को अथवा राज्य का अथवा विधान सभा वाला किसी केद्रशासित प्रदेश का समेकित कोष से अनुदान अथवा ऋण के द्वारा वित्त पोषक किया, नियंत्रक तथा महालेखाकार प्रभाव में समय के लिए किसी प्रावधान के तहत जो संस्था अथवा प्राधिकरण जैसा मामलों पर लागू है उस संस्था अथवा प्राधिकरण की सभी प्राप्ति तथा व्यय का अंकेक्षण करे तथा उसके द्वारा अंकेक्षण प्राप्ति तथा व्यय का रिपोर्ट करें। **{1/2 M}**

जहां पर एक वित्तीय वर्ष में एक विधान सभा वाली किसी केंद्रशासित प्रदेश अथवा भारत का अथवा किसी राज्य का समेकित कोष से एक संस्था अथवा प्राधिकरण को अनुदान अथवा ऋण 25,00,000 रु. से कम नही है तथा इस प्रकार का अनुदान इस प्रकार की संस्था अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय का 75% से कम नही है। इस प्रकार की संस्था अथवा प्राधिकरण को इस प्रकार की अनुदान अथवा ऋण का जैसा भी मामला है, के द्वारा संप्रेषण के उद्देश्य के लिए माना जाता है।

(iv) **अनुदान अथवा ऋण का अंकेक्षण** – जहां किसी अनुदान अथवा ऋण को भारत के किसी संमेकित कोष से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जाता है अथवा विधान सभा वाली किसी केंद्रशासित प्रदेश का समेकित कोष से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी अनुदान अथवा ऋण को किसी संस्था अथवा प्राधिकरण जो कि विदेशी राज्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, को दिया है नियंत्रक तथा महालेखाकार प्रक्रिया की जांच करेगा जिसके द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण स्वयं को शर्त जिसके तहत इस प्रकार का अनुदान अथवा ऋण को दिया है, की पूर्ण होने के बारे में संतुष्ट करता है तथा इस उद्देश्य के लिए उस प्राधिकरण अथवा संस्था की पुस्तकों तथा खाता को उचित गत नोटिस देने के पश्चात पहुंच का अधिकार है। **{1/2 M}**

(v) **संघ अथवा राज्य की प्राप्ति का अंकेक्षण**– नियंत्रक तथा महालेखाकार का कर्तव्य सभी प्राप्ति का अंकेक्षण करना है जो भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा विधानसभा वाली प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश का समेकित कोष मे भुगतानयोग्य है तथा स्वयं को संतुष्ट करेगा कि उस संदर्भ में नियम तथा प्रक्रिया को राजस्व की समीक्षा, संग्रहण तथा उपयुक्त आबंटन पर प्रभावी जांच को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया तथा पूर्ण रूप से अवलोकन किया तथा इस उद्देश्य के लिए खातो को इस प्रकार का परीक्षण करे जैसा वह उद्देश्य समझे तथा उस पर रिपोर्ट करें। **{1/2 M}**

(vi) **स्टोर्स तथा इंवेंटरी का अंकेक्षण** – नियंत्रक तथा महालेखाकार की संघ अथवा राज्य का किसी कार्यालय अथवा विभाग से रखा स्टोर्ज तथा इंवेंटरी का खातों पर अंकेक्षण तथा रिपोर्ट करने का अधिकार है। **{1/2 M}**

(vii) **सरकारी कम्पनिया तथा निगम का अंकेक्षण** – सरकारी कम्पनियों का खाता को अंकेक्षण के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखाकार का कर्तव्यों तथा अधिकार को कम्पनी अधिनियम **2013** का प्रावधान के अनुसार उसके द्वारा निष्पादित तथा उपयोग किया। भारत का नियंत्रक तथा महालेखाकार धारा **139** की उपधारा **(5)** अथवा उपधारा **(7)** के अन्तर्गत अंकेक्षक को नियुक्त (अर्थात प्रथम अंकेक्षक तथा बाद के अंकेक्षक की नियुक्ति तथा इस प्रकार के अंकेक्षक को तरीका जिसने सरकरी कम्पनी का खातों का निर्देश देगा) तथा इस प्रकार नियुक्त अंकेक्षक वस्तु के अतिरिक्त निंयत्रक तथा महालेखाकार द्वारा जारी निर्देश, उस पर की गयी कार्यवाही तथा कम्पनी का खाता तथा वित्तीय विवरण पर इसका प्रभाव सम्मिलित होगा। **{1/2 M}**

**Answer:**

**(c)** अंकेक्षक की संबधित पक्ष संबंध, सौदे अथवा शेष के लिए उपयुक्त रूप से लेखांकन करने में इकाई की विफलता से उत्पन्न सारवान मिथ्या विवरण की जोखिम की पहचान, समीक्षा तथा प्रत्युतर के लिए अंकेक्षण प्रक्रिया का निष्पादित करने का उत्तरदायित्व है। **{1 M}**

अंकेक्षक को इकाई का संबंधित पक्ष संबंध तथा सौदे को पर्याप्त रूप से एक समझ को प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि यह निष्कर्ष निकालने में समर्थ हो सके कि क्या वित्तीय विवरण जहां तक यह उन संबंधों तथा सौदो द्वारा प्रभावित है:

(a) एक सत्य है तथा उचित प्रस्तुति को प्राप्त करना; अथवा

(b) भ्रामक नही है (अनुपालन फ्रेमवर्क के लिए)

इसके अतिरिक्त इकाई की संबंधित पक्ष संबंध तथा सौदों की समझ अंकेक्षक की आकलन के लिए प्रांसगिक है क्या धोखाधड़ी जोखिम फेक्टर प्रस्तुत है जैसा SA 240 द्वारा आवश्यक है। यह इसलिए क्योंकि धोखाधड़ी को संबंधित पक्ष के जरिये आसानी से किया जा सकता है।

अकेक्षण की अर्न्तनिहित परिसीमा के कारण, अपरिहार्य जोखिम है वित्तीय विवरण की कुछ सारवान मिथ्या विवरण को खोजा नही जा सकता चाहे अंकेक्षण की उपयुक्त रूप से योजनाबद्ध किया तथा SA के अनुसार निष्पादित किया। संबंधित पक्षोंके संदर्भ में, सारवान मिथ्या विवरण की खोज के लिए अंकेक्षक की अर्न्तनिहित परिसीमा का प्रभावी इस प्रकार का कारण के लिए अधिक है जिसके कारण निम्न है: **{2 M}**

- प्रबंधन सभी संबंधित पक्ष की विद्यमानता से अवगत नही हो सकता।
- संबंधित पक्ष संबंध प्रबंधन द्वारा सांठगांठ, छुपाने अथवा हेराफेरी के लिए बड़े अवसर को प्रस्तुत कर सकता है।
- पेशेवर सदेह के साथ अंकेक्षण की योजना तथा निष्पादन जैसा SA 200 के द्वारा आवश्यक है अप्रकट संबंधित पक्ष संबंधो तथा सौदों के लिए संभावना को देकर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस SA में आवश्यकता को संबंधित पक्ष जिसकी पहचान की जा सकती है।

**Answer:**

**(d)** सूचना प्रौद्योगिकी एक इकाई के आंतरिक नियंत्रण की विशिष्ट जोखिम को पेश करता है, जिसमें उदाहरण के लिए सम्मिलित है: **{Any 6 Point Each 1/2 Mark}**

- प्रणाली अथवा प्रोग्राम पर विश्वास जो गलत ढ़ग से डाटा की प्रक्रिया करता है, गलत डाटा को प्रोसेस करता है अथवा दोनों
- डाटा की गैर प्राधिकृत पहुंच जो गैर प्राधिकृत अथवा आस्तित्व में नही सौदों अथवा सौदो की गलत रिकार्डिग सहित डाटा का गलत बदलाव अथवा डाटा का नष्ट करना हो सकता है। विशिष्ट जोखिम उत्पन्न हो सकती है जहां अनेक उपयोगकर्ता एक ही डेटाबेस का उपयोग करते है।
- सूचना प्रौद्योगिकी कर्मी की अपनी निर्दिष्ट कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यकता से आगे पहुँच विशेषाधिकार तक पहुंच जिससे कर्तव्यों का पृथक्कीकरण में ब्रेक डाउन आता है।
- मास्टर फाइल में डाटा का गैर प्राधिकृत बदलाव
- प्रणाली अथवा प्रोग्राम में गैर प्राधिकृत बदलाव
- प्रणाली अथवा प्रोग्राम में आवश्यक बदालव करने मे विफलता
- अनुचित मेन्युल हस्तक्षेप
- डाटा की संभावित हानि अथवा आवश्यकतानुसार डाटा तक पहुचने में असमर्थता

**Answer 3:**

**(a)** **महत्वपूर्ण मामला तथा संबधित महत्वपूर्ण पेशेवर निर्णयन का प्रपत्रीकरण**

एक मामले की महत्वता का परखने में तथ्य तथा परिस्थिति की वस्तु परक विश्लेषण की आवश्यकता है।

**महत्वपूर्ण मामलों के उदाहरण में सम्मिलित है:**

- मामला जो महत्वपूर्ण जोखिम को जन्म देते है।
- अंकेक्षण प्रक्रिया का परिणाम संकेत देता है। (a) कि वित्तीय विवरण को सारवान रूप मे मिथ्या वर्णित किया जा सकता है, अथवा (b) सारवान मिथ्या विवरण की जोखिम की अंकेक्षक की पहले की समीक्षा को पुर्नरक्षित करने की आवश्यकता है तथा इन जोखिम का अंकेक्षक का प्रत्युत्तर **{2 M}**
- परिस्थिति जो अंकेक्षक को आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया को लागू करने में पर्याप्त कठिनाई देते है।
- निष्कर्ष जो अंकेक्षण राय की संशोधन परिणाम हो सकता है अथवा अंकेक्षक की रिपोर्ट में मामला पैराग्राफ का जोर सम्मिलित हो सकता है।

महत्वपूर्ण मामलों की अंकेक्षण प्रपत्रीकरणके स्वरूप, विषय वस्तु तथा हद के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण फेक्टर कार्य के निष्पादन तथा परिणाम के आंकलन में प्रयुक्त पेशेवर निर्णयन की हद है।

पेशेवर निर्णयन जहां पर महत्वपूर्ण है, का प्रपत्रीकरण अंकेक्षक के निष्कर्षा का निर्णयन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करता है। इस प्रकार मामलों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का विशेष हित का है जिसमें बाद का अंकेक्षण को चलाना जब लगातार महत्व की मामलों की समीक्षा की जाती है। (उदाहरण के लिए, लेंखाकन अनुमान की पूववर्ती समीक्षा को निष्पादित किया जाता है)

**परिस्थिति के कुछ उदाहण जिसमें पेशवर निर्णयन का उपयोग से संबंधित अंकेक्षण प्रपत्रीकरण को तैयार करना उपयुक्त है जहां पर मामला तथा निर्णयन महत्वपूर्ण है:**

- अंकेक्षक का निष्कर्ष के लिए युक्ति जब तक आवश्यकता प्रदान करता है कि अंकेक्षक कुछ सूचना अथवा फैक्टर 'विचार करेगा' तथा वह विचार विशेष लिप्तता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। **{2 M}**
- विषयपरक निर्णयन का क्षेत्र की उचितता पर अंकेक्षक का निष्कर्ष का आधार (उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान की उचितता)
- एक प्रपत्र की प्रमाणिकता के बारे में अंकेक्षक का निष्कर्ष जब अंकेक्षण के दौरान पहचान स्थिति के प्रत्युत्तर में इस प्रकार का अन्वेषण (जैसा एक विशेषज्ञ का उपयुक्त उपयोग अथवा पुष्टि प्रंक्रिया जो अंकेक्षक को विश्वास दिलाता है कि प्रपत्र प्रमाणिक नही हैं)

**Answer:**

**(b)** **अंकेक्षण साक्ष्य की पर्याप्तता:** पर्याप्तता अंकेक्षण साक्ष्य की मात्रा का माप है। आवश्यक अंकेक्षण की मात्रा अंकेक्षक की मिथ्या विवरण का जोखिम (जितना अधिक समीक्षा जोखिम उतना अधिक अंकेक्षण साक्ष्य की आवश्यकता होगी तथा साथ में इस प्रकार के अंकेक्षण साक्ष्य की गुणवत्ता) द्वारा प्रभावित होती है। ज्यादा अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करना इसकी खराब गुणत्ता की क्षतिपूर्ति नही करता। पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षक का निर्णय निम्न तत्वों द्वारा प्रभावित हो सकता है: **{2 M}**

(i) सारवानता
(ii) सारवान मिथ्या विवरण की जोखि
(iii) जनसांख्यिकी का आकार तथा विशेषता

(i) सारवानता को वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ता को प्रस्तुति तथा प्रकटीकरण तथा सौदा, खाता शेष की श्रेणीी का महत्व को परिभाषित किया जा सकता है। कम साक्ष्य की आवश्यकता होगी जहां पर अमिकथन वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ता के लिए कम सारवान है। परन्तु दूसरी तरफ यदि अभिकथन वित्तीय विवरण का उपयोगकर्ता से ज्यादा सारवान हैं, ज्यादा साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

(ii) **सारवान मिथ्या विवरण को जोखिम के रूप में** परिभाषित किया जा सकता है कि वित्तीय विवरण अंकेक्षण से पहले सारवान रूप में मिथ्या वर्णित है। यह अभिकथन स्तर पर वर्णित दो घटक से मिलकर बना है (a) अर्न्तनिहित जोखिम–मिथ्या विवरण की एक अभिकथन की संवेदनशलीता जो किसी संबंधित नियंत्रण की प्रतिफल से पूर्व सारवान होगा (b) नियंत्रण जोखिम–जोखिम एक मिथ्या विवरण है जो एक अभिकथन पर उत्पन्न हो सकता है जो सारवान हो सकता है, को इकाई की आंतरिक नियंत्रण द्वारा समयबद्ध आधार पर रोका अथवा खोजा अथवा सही नही किया जायेगा। अभिकथन के मामले में कम साक्ष्य की आवश्यकता होगी जिसका सारवान मिथ्या विवरण का न्यून जोखिमह ै। परन्तु दूसरी तरफ यदि अभिकथन का सारवान मिथ्या विवरण का उच्च जोखिम है, ज्यादा साक्ष्य की आवश्यकता होगी। **{2 M}**

(iii) **जनसाख्यिकी का आकार** जनसाख्यिकी में सम्मिलित मदों की संख्यो को संदर्मित करता है। छोटी, ज्यादा संजातीय जनसांख्यिकी के मामले में कम साक्ष्य की आवश्यकता है परन्तु दूसरी तरफ बड़ी ज्यादा विजातीय जनसांख्यिकी के मामले में ज्यादा साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

**Answer:**

**(c)** SA 200 ''स्वतंत्र अंकेक्षक का सम्पूर्ण उद्देश्य'' के अनुसार वित्तीय विवरण का अंकेक्षण का परिचालन में, अंकेक्षक का सम्पूर्ण उद्देश्य है: **{1 M}**

(i) क्या वित्तीय विवरण सम्पूर्ण रूप से सारवान मिथ्या विवरण से मुक्त है उचित आश्वासन को प्राप्त करना, तथा **{1 M}**

(ii) अंकेक्षक का निष्कर्ष के अनुसार SAs द्वारा आवश्यक संप्रेषण करना अथवा वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट करना। **{1 M}**

**Answer:**

**(d)** यह समझना पर्याप्त नहीं है कि अंकेक्षक को क्या होना चाहिए वह व्यापार तथा अन्य संस्थान के वित्तीय मामला पर रिपोर्टिंग से संबंधित है। वित्तीय मामला को मानव भ्रमशीलता की समस्या के साथ स्थापित किये जाने चाहिये, त्रुटि तथा धोखाधड़ी बारम्बार है। Dicksee के अनुसार अपेक्षित गुणवत्ता युक्ति, सावधानीपूर्वक दृढ़ता, अच्छा स्वभाव, अखंडता, स्वेच्छा, उद्योग, निर्णयन, धैर्य तथा विश्वसनीतया है। संक्षेप में वह सभी व्यक्तिगत गुणवत्ता जो एक अच्छे व्यापारी को बनाती है एक अच्छे अंकेक्षक को बनाने में अंशदान करती है। इसके अतिरिक्त उसके पास ऊँचाई को छूने के लिए अच्छे संस्कार होने चाहिए। उसके पास पर्याप्त स्वतंत्रता द्वारा समर्पित अखंडता की उच्चतम विधि है। वास्तव में नैतिक संहिता के सामान्य सिद्धांतों में अखंडता, वस्तुपरकता तथा स्वतंत्रता है। उनके पास कानून का सामान्य सिद्धांत का गहन ज्ञान होना चाहिए, जिन मामलों को संचालित करता है उनके उनकी अतरंग सम्पर्क में होने की संभावना है। कम्पनी अधिनियम से की विशेष वर्णन करने की आवश्यकता है। वाणिज्यिक कानून विशेष रूप से अनुबंध से संबंधित कानून कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह कहना अनावश्यक है कि जहां पर उपक्रम को विशेष विधान द्वारा संचालित किया जाता है इसका ज्ञान अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कानून का ठोस ज्ञान तथा कराधान का प्रेक्टिस अपरिहार्य है। **{1 M}**

उसे वित्तीय तथा प्रबंधन लेखांकन, सामान्य प्रबंधन, व्यापार तथा निगमित कानून, कम्प्यूटर्स तथा सूचना प्रणाली, कराधान तथा अर्थशास्त्र इत्यादि में सैद्धांतिक शिक्षा का सघन कार्यक्रम का अनुगमन करना चाहिए। दोनों व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा सैद्धांतिक शिक्षा अंकेक्षण कार्य का किसी प्रकार को करने के लिए एक अंकेक्षक की पेशेवर सक्षमता का विकास के लिए बराबर से आवश्यक है।

अंकेक्षक ना केवल तरीका जिसमें प्रायः व्यापार को चलाया जाता के ज्ञान से सुसज्जित होना चाहिए परन्तु साथ में एक विशेष व्यापार से विशिष्ट व्यापार की विशेष विशेषता की समझ होनी चाहिए जिसके खाता अंकेक्षण के अंतर्गत है। अंकेक्षक जो विश्वास की स्थिति को धारित करता है, की पेशेवर प्रशिक्षण तथा शिक्षा की तकनीकी आवश्यकता के अतिरिक्त मूल मानव गुणवत्ता को रखते हैं। **{1 M}**

उसे आलोच्य रूप से वित्तीय विवरण की समीक्षा को लगातार करने के लिए कहा जाता है तथा उसके लिए उस कार्य को करना अनुपयोगी है जब तक उसका ज्ञान विशेषज्ञ नहीं है। सभी शाखा में लेखांकन का सघन ज्ञान अंकेक्षण की प्रेक्टिस को अनिवार्य है। उसे लंखांकन सिद्धांत तथा तकनीक का गहन ज्ञान होना चाहिए।

Lord Justice Lindley ने प्रसिद्ध London & General Bank में निर्णय के दौरान संक्षेप में सम्पूर्ण मत का सारांश किया कि एक अंकेक्षक किसे व्यक्तिगत गुणवत्ता मानता है। उसने कहा, ''एक अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए अर्थात् उसे वह प्रमाणित नहीं करना चाहिये जिससे वह सत्य नहीं मानता तथा जिसे विश्वास करता है कि जिसे वह प्रमाणित करता है कि सत्य है।'' **{1 M}**

**Answer 4:**

**(a)** अंकेक्षक को एक कुशल तथा समयबद्ध तरीके में एक प्रभावी अंकेक्षण के परिचालन में उसे समर्थ करने के लिए अपने कार्य की योजना बनानी चाहिए। योजना ग्राहक के व्यापार के ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए।

(a) ग्राहक की लेखांकन प्रणालियों, नीतियों तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का ज्ञान अधिगृहित करना,

(b) आंतरिक नियंत्रण पर निर्भरता की प्रत्याशित सीमा निर्धारित करना,

(c) किये जाने वाले अंकेक्षण की प्रकृति, समयबद्धता तथा विस्तार का निर्धारण करना तथा प्रोग्रामिंग करना तथा,

(d) किये जाने वाले कार्य को समन्वित करना,

**{4 Point Each 1 Mark}**

**Answer :**

**(b)** यथार्थपूर्वक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया : यथापूर्वक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया आमतौर पर सौदों के बड़े परिमाप पर लागू होते हैं जो अधिक समय तक अनुमान योग्य होते हैं। योजनाबद्ध विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का उपयोग इस अपेक्षा पर आधारित है कि डाटा के मध्य संबंध विद्यमान है तथा विपरीत ज्ञात स्थिति के अभाव में जारी रहता है। यद्यपि, एक विशेष विश्लेषणात्मक प्रक्रिया की उपयुक्तता अंकेक्षक की मिथ्या विवरण को खोजने में समीक्षा कितनी प्रभावी है, पर निर्भर होगी जो व्यक्तिगत रूप से अथवा जब अन्य मिथ्या विवरण के साथ योग किया जाता वित्तीय विवरण को सारवान रूप से मिथ्या वर्णित कर सकता है। **{2 M}**

कुछ मामलों में एक गैर आधुनिक अनुमान सूचक मॉडल एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रभावी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जहां पर एक इकाई की अवधि भर में वेतन की निश्चित दर पर कर्मचारियों की ज्ञात संख्या है, अंकेक्षक के लिए शुद्धता की उच्च डिग्री के साथ अवधि के लिए कुल पे रोल लागत का अनुमान लगाने में इस डाटा का उपयोग करना अंकेक्षक के लिए संभव हो सकता है जो वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण मद के लिए अंकेक्षण साक्ष्य को प्रदान करना तथा पे रोल पर विवरण के परीक्षण की आवश्यकता को कम करना है। वृहत रूप से मान्यता व्यापार अनुपात (जैसे खुदरा इकाइयों के विभिन्न प्रकार का लाभ मार्जिन) को लेखांकित राशि की उचितता के समर्थन में साक्ष्य को प्रदान करने के लिए यथार्थवादी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में प्रभावी रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। **{2 M}**

**Answer:**

**(c)** (i) **किराया व्यय–** किराया समझौते के साथ माह अनुसार अनुसूची को प्राप्त करना। सत्यापन करें यदि व्यय को सभी 12 माह के लिए रिकार्ड किया तथा क्या किराया। राशि अर्न्तनिहित समझौते के अनुसार है। विशिष्ट विचार को समझौते में उतार चढ़ाव वाक्य पर देनी चाहिए ताकि सत्यापन किया जा सके। यदि किराया अंकेक्षण के अन्तर्गत अवधि के दौरान समायोजित किया साथ में सत्यापन करे यदि समझौता इकाई के नाम में है तथा क्या व्यय इकाई का व्यापार परिचालन को चलाने के लिए प्रयुक्त परिसर से संबंधित है। **{$1^{1/2}$ M}**

(ii) **ऊर्जा तथा ईधन व्यय–** विद्युत बिल के साथ माह अनुसार व्यय अनुसूची का सत्यापन करे यदि व्यय को 12 माह के लिए रिकार्ड किया। साथ ही, उपभोग की गयी विद्युत का माह बार सारांश का संकलन करें तथा मासिक आधार पर सृजित बिल की गणितीय शुद्धता की जांच करें। उपभोग की गयी यूनिटो के संबंध में, उत्पादित निर्मित वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग की गयी मासिक विद्युत यूनिटस के साथ लिक करे तथा मासिक प्रवृति में अतर के लिये कार्यो का अन्वेषण करें। **{$1^{1/2}$ M}**

**Answer :**

**(d)** **संचय** लाभ से विनियोजित राशि है जो चिट्ठा को विद्यमान के रूप में जानी सम्पति का मूल्य में कमी अथवा किसी दायित्व, आकस्मिकता तथा प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एच्छिक नहीं है।

**इसके उलट, प्रावधान** निम्न के प्रदान करने के लिए राजस्व के विरूद्ध वसूल राशि हैः

(i) नवीनीकरण अथवा सम्पति का मूल्य में कमी; अथवा

(ii) एक ज्ञात दायित्व, जिसकी राशि का केवल अनुमान लगायेगे तथा शुद्धता के साथ निर्धारित नही किया जा सकता है; अथवा **{1 M}**

(iii) एक दावा जो विवादित है।

सम्पति के मूल्य में कमी को पूरा करने के लिए लाभ से अंतरित अथवा अंशदान राशि इस तथ्य के कारण प्राकृतिक आपदा के पणिामस्वरूप मे रूप में गुम हो गयी अथवा नष्ट हो गयी अथवा ऋण जिसकी वसूली नहीं की गयी, को साबित किया प्रावधान के रूप में भी वर्णित किया। प्रावधान को सामान्यतः लाभ की राशि पर पहुंचने के पूर्व लाभ तथा हानि का विवरण मे वसूल किया।

दों के मध्य अंतर है कि प्रावधान विशिष्ट/पहचान दायित्व अथवा सम्पति का वसूलीयोग्य मूल्य में कमी को पूरा करने के लिए रखी गयी राशि है। इसे इस तथ्य पर विचार किये बिना क्या कम्पनी ने लाभ की अर्जित किया अथवा नहीं।

दूसरी तरफ संचय एक अवधि से एक आय के लिए कम्पनी का लाभांश का बराबर करने के लिए धारित लाभ अथवा कम्पनी का विस्तार का वित्त के लिए अथवा वित्तीय रूप से सामान्यतः कम्पनी का सुदृढ़ करने के लिए विनियोजित राशि का प्रतिनिधित्व करता है। **{1 M}**

यदि हम किसी कम्पनी के चिट्ठे का परीक्षण करने से बाहन कुल दायित्व से घटाया जाता है, दो अंक के मध्य अंतर उस तिथि को सम्पति का पुस्तक मूल्य पर आधारित कम्पनी की शुद्ध मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगा। उसमें अंशधारकों के द्वारा अशदान पुंजी तथा साथ में लाभ तथा हानि का विवरण अथवा संचय के क्रेडिट में धारित कुल गैर वितरित लाभ सम्मिलित होगा। संचय को फिर से राजस्व अथवा पूजी संचय में विभक्त किया जायेगा।

राजस्व संचय लाभ का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी एक अथवा अधिक उद्देश्य अथवा समय के लिए धारित अंशधारको का वितरण के लिए उपनब्ध है।

उदाहरण मंदी वर्षो में विभाज्य लाभ का अनुपूरक करना, व्यापार के विस्तार के लिए वित पोषण, व्यापार की कार्य पूंजी को बढ़ाना अथवा सामान्यतः कम्पनी की वित्तीय स्थिति को सामान्यतः सुदृढ़ करने के लिए।

**पूंजी संचय** दूसरी तरफ एक संचय का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें लाभ तथा हानि के विवरण के जरिये वितरण लिए मुक्त के रूप में कोई राशिा सम्मिलित नहीं है।

उदाहरण– अंश प्रीमियम, पूंजी विमोचन संचय

यह भी नोट किया जा सकता है कि यदि एक कम्पनी सम्पति प्रति स्थानापन्न संचय मे क्रेडिट करने के लिए राजस्व लाभ को विमोचित किया जाता है जिसे पूंजी उद्देश्य के लिए पूंजी सचय की प्रवृति में भी ऐसे संचय के लिये प्रयुक्त किया है। **{1 M}**

सामान्यतः पूंजी संचय को बोनस अंशों को जारी करने के लिए अथवा कृत्रिम सम्पति का अपलेखन करने अथवा हानि (अनुच्छेद में प्रावधान के तहत यदि इसे वसूल किया) परन्तु अंश प्रीमियम अथवा पूंजी विमोचन संचय खाता की राशि को केवल कम्पनी अधिनियम 2013 की क्रमशः धारा 52 तथा 55 में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है।

**Answer 5:**

**(a)** एक अन्य अंकेक्षक के कार्य का उपयोग करना : जब शाखा के खाते का अंकेक्षण कम्पनी के अंकेक्षक के अतिरिक्त व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के अंकेक्षक की तथा शाखा का खातों का अंकेक्षण के संबंध में कम्पनी के अंकेक्षक तथा कम्पनी के अंकेक्षण की भूमिका की स्पष्ट समझ होने की आवश्यकता है, साथ में एक प्रभावी अंकेक्षण के लिए दो अंकेक्षकों के मध्य सही समझ होने की काफी आवश्यकता है। इस आवश्यकता की मान्यता में, ICAI की परिषद ने इन मुद्दों को SA 600, ''एक अन्य अंकेक्षक का कार्य का उपयोग में डील किया है।'' यह स्पष्ट करता है कि कुछ स्थिति में, इकाई को संचालित करने वाला विधान प्रमुख अंकेक्षक को घटक का दौरा करने तथा उक्त घटक की लेखा पुस्तकों तथा अन्य रिकार्ड का परीक्षण करने का अधिकार देता है यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है। जहां पर घटक के लिए एक अन्य अंकेक्षक को नियुक्त किया है, प्रमुख अंकेक्षक सामान्यतः इस प्रकार के अंकेक्षक का कार्य पर विश्वास करने का हकदार है जब तक कि कुछ विशेष परिस्थिति है जो उसे उस घटक की लेखा पुस्तक तथा अन्य रिकार्ड का परीक्षण करने तथा / अथवा घटक का दौरा करना आवश्यक ना कर दें। आगे यह कहता है कि यह अंकेक्षक को पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को निष्पादित करना चाहिए कि प्रमुख अंकेक्षक का उद्देश्य के अन्य अंकेक्षक का कार्य पर्याप्त है। जहां पर एक अन्य अंकेक्षक का कार्य का उपयोग करते हुए प्रमुख अंकेक्षक को साधारणतः निम्न प्रक्रिया को निष्पादित करना चाहिएः **{2 M}**

(i) अन्य अंकेक्षक को उपयोग की सलाह देना जिस अन्य अंकेक्षक को कार्य में लिया जायेगा तथा अंकेक्षण की योजना चरण में उनके प्रयास का सामंजस्य के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करना। प्रमुख अंकेक्षक मामलों जैसे क्षेत्र जिसमें विशेष विचार की आवश्यकता है, अर्न्तघटक सौदो की पहचान के लिए प्रक्रिया जिसमें प्रकटीकरण की आवश्यकता हो सकती है तथा अंकेक्षण की पूर्णता के लिए समय सारणी का अन्य अंकेक्षक को नियुक्त करेगा, तथा **{1 M}**

(ii) अन्य अंकेक्षक को महत्वपूर्ण लेखांकन, अंकेक्षण तथा रिपोर्टिग आवश्यकता के बारे में सलाह देगा तथा उनके साथ अनुपालना के बारे में प्रतिवेदन को प्राप्त करेगा।

प्रमुख अंकेक्षक अन्य अंकेक्षक के साथ लागू अंकेक्षण प्रक्रिया का चर्चा करेगा अथवा अन्य अंकेक्षक की प्रक्रिया तथा खोज की लिखित सारांश की समीक्षा करेगा जो पूर्ण प्रश्नावली अथवा जांच सूची का स्वरूप में हो सकता है। प्रमुख अंकेक्षक अन्य अंकेक्षक के पास दौरा करने का विचार कर सकता है। प्रक्रिया की प्रकृत्ति, समय तथा हद लिप्पता की प्रकृति तथा अन्य अंकेक्षक की पेशेवर सक्षमता का प्रमुख अंकेक्षक का **{1 M}**

ज्ञान पर निर्भर होगी। इस ज्ञान को अन्य अंकेक्षक का गत अंकेक्षण कार्य की समीक्षा से बढ़ाया जा सकता है।

**Answer :**

**(b)** (a) अंकेक्षक द्वारा परिक्षित खातों पर कम्पनी के सदस्यों को रिपोर्ट करने का अधिकार– अंकेक्षक कम्पनी के सदस्यों को उसके द्वारा परिक्षित लेखा तथा सामान्य सभा में कम्पनी के सम्मुख रखे जाने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा के द्वारा आवश्यक प्रत्येक वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट करेगा तथा रिपोर्ट, इस अधिनियम का प्रावधान को हिसाब में लेगा तथा लेखांकन तथा अंकेक्षण मानक तथा मामले जिसे इस अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाये किसी नियम अथवा इस धारा के अंतर्गत किसी आदेश के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा तथा उसकी सूचना तथा सर्वोत्तम ज्ञान के उक्त लेखा, वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यकलाप तथा वर्ष के लिए लाभ अथवा हानि तथा नकद प्रवाह तथा इस प्रकार का अन्य मामला जैसा निर्धारित हो सकता है, का सत्य तथा उचित मत देता है। **{2 M}**

(b) अधिकारियों से सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त करने का अधिकार– अंकेक्षक का कम्पनी का अधिकारी इस प्रकार की सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त करने का अधिकार जैसा वह एक अंकेक्षक है के रूप में अनेक कर्तव्यों की कुशलता का निष्पादन के लिए आवश्यक है वृहत है तथा महत्वपूर्ण अधिकार है। इस प्रकार के अधिकार के अभाव में, अंकेक्षक किसी अन्य कम्पनी, फर्म अथवा व्यक्ति से निदेशकों इत्यादि से निदेशक इत्यादि द्वारा संग्रहित राशि का विवरण तथा कम्पनी से निदेशकों के द्वारा प्राप्त वस्तु में किसी लाभ को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगा, जिसे पुस्तकों का परीक्षण से जाना नहीं जा सकता। यह अंकेक्षक को उसके द्वारा आवश्यक सूचना तथा स्पष्टीकरण के संबंध में मामला का निर्णय करना है। जब अंकेक्षक को उसके द्वारा आवश्यक सूचना को प्रदान नहीं किया अथवा उसके द्वारा आवश्यक सूचना का खंडन नहीं किया। उसकी केवल समाधान सदस्यों को रिपोर्ट करना है कि उसने सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं किया, जिसे वह अंकेक्षकों के रूप में उसके कर्तव्यों की कुशलता के लिए आवश्यक समझा जाता है। **{2 M}**

**Answer :**

**(c)** वित्तीय विवरण के लिए उत्तरदायित्वः अंकेक्षक प्रतिवेदन में शीर्ष ''वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व'' के साथ एक धारा को सम्मिलित करेंगे।

SA 200 प्रबंधन जहां पर उपयुक्त है संचालन से प्रभारित व्यक्ति का उत्तरदायित्व से संबंधित है, जिस पर एक अंकेक्षण को SA के अनुसार परिचालित किया जाता है। प्रबंधन तथा जहां उपयुक्त संचालन से प्रभारित व्यक्ति भी इस प्रकार का आंतरिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व को भी स्वीकृत करता है क्योंकि यह वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए आवश्यक जो सारवान मिथ्या विवरण से मुक्त है चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हैं। अंकेक्षक रिपोर्ट में प्रबंधन का उत्तरदायित्व का विवरण में दोनों उत्तरदायित्व का संदर्भ सम्मिलित है क्योंकि यह उपयोगकर्ता को आधार जिस पर अंकेक्षण किया गया को स्पष्ट करने में सहायता करता है। **{1 M}**

अंकेक्षक की रिपोर्ट की यह धारा निम्न के लिए प्रबंधकीय उत्तरदायित्व को वर्णित करेगाः

(a) लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने तथा इस प्रकार आंतरिक नियं.ण जैसा प्रबंधन निर्धारित करती है वित्तीय विवरण की तैयारी करने के लिए समर्थ करने के लिए आवश्यक जो सारवान मिथ्या विवरण से मुक्त है चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण है (अंकेक्षण के अन्य पक्ष पर धोखाधड़ी के संभव प्रभाव के कारण सारवानता) धोखाधड़ी को रोकने तथा खोजने के लिए आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण (वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की स्थापना तथा बनाये रखने के लिए) के लिए इसके उत्तरदायित्व के संबंध में प्रबंधकीय अभिस्वीकृति पर लागू नहीं होगा। **{1 M}**

(b) चलायमान संस्था के रूप में जारी रखने की इकाई की योग्यताः की योग्यता की समीक्षा तथा क्या लेखांकन का चलायमान आधार का उपयोग उपयुक्त तथा साथ में प्रकट यदि लागू है, मामला **{1 M}**

चलायमान संस्था से संबंधित मामला है। समीक्षा के लिए प्रबंधकीय उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण में विवरण को सम्मिलित करेगा कब लेखांकन का चलायमान आधार का उपयोग उपयुक्त है।

**Answer :**

**(d)** कम्पनी (अंकेक्षण तथा अंकेक्षक) नियम 2014 (इसके बाद CAAR सदर्भित) के साथ **धारा 141** की **उपधारा (3)** के अन्तगर्त निम्न व्यक्ति एक कम्पनी का अंकेक्षक की नियुक्ति का पात्र नहीं होगा नामत

(a) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत पंजीकृत एक सीमित देयता भागीदारी के अलावा एक निकाय कॉर्पोरेटः

(b) कम्पनी का एक अधिकारी अथवा कर्मचारीः

(c) एक व्यक्ति जो कम्पनी का एक अधिकारी अथवा कर्मचारी का साझेदार अथवा रोजगार में हैं,

(d) एक व्यक्ति जो अथवा उसका संबंधी अथवा साझेदार–

(i) कम्पनी अथवा इसकी सहायक अथवा इसकी धारक अथवा सहयोगी कम्पनी अथवा इस प्रकार धारक कम्पनी का सहायक में किसी हित अथवा प्रतिभूति को रखता है।
यह नोट किया जा सकता है कि संबंधी 1,00,000 रु. से अधिक नहीं अंकित मूल्य में प्रतिभूति अथवा हित को धारित कर सकता है।
यह भी नोट किया जा सकता है कि 1,00,000 रु. की शर्त जहां पर लागू है कम्पनी जिसकी अंशपूजी नही है अथवा अन्य प्रतिभूति नही, के मामले में भी लागू होगा।
यह भी नोट किया जा सकता है कि उपरोक्त न्यूनतम सीमा के उपर एक संबंधी द्वारा किसी प्रतिभूति अथवा हित का अधिगृहण की दशा में उपरोक्त निर्दिष्ट सीमा का बनाये रखने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही को हित के अधिगृहण की 60 दिवस के अंदर अंकेक्षक द्वारा लिया जायेगा।

(ii) 5,00,000 रु. के आधिक्य में कम्पनी अथवा इसके सहायक अथवा इसका धारण अथवा एक सहायक अथवा इस प्रकार धारक की सहायक में ऋणी है अथवा

(iii) 1,00,000 रु. के आधिक्य में कम्पनी अथवा इसके सहायक अथवा इसके धारक अथवा सहयोगी कम्पनी अथवा इस प्रकार की धारक कम्पनी का सहायक को किसी तृतीय व्यक्ति के साथ ऋण के संबंध में किसी गारंटी को दिया अथवा किसी प्रतिभू को प्रदान किया। **{1 M}**

(e) एक व्यक्ति अथवा फर्म जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रकृति का कम्पनी अथवा इसके सहायक अथवा इसका धारक अथवा सहयोगी कम्पनी अथवा इस प्रकार धारक कम्पनी का सहायक व्यक्ति अथवा कम्पनी के साथ व्यापार संबंध है;

(f) एक व्यक्ति जिसका रिश्तेदार कम्पनी का निदेशक या निदेशक अथवा मुख्य प्रंबंधकीय कार्मिक के रूप में रोजगार में है। **{1 M}**

(g) एक व्यक्ति जो कहीं पर पूर्णकालिक रोजगार है अथवा इसका अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति का धारण एक फर्म का साझेदार अथवा व्यक्ति है, यदि इस प्रकार का व्यक्ति अथवा साझेदार इस प्रकार की नियुक्ति अथवा पुर्न नियुक्ति की तिथि पर एक व्यक्ति कम्पनियां, निष्क्रय कम्पनियां लघु कम्पनियां तथा 100 करोड़ रु. से कम चुकता अश वाली निजी कम्पनी के अतिरिक्त बीस कम्पनियों से अधिक का अंकेक्षक है।

(h) एक व्यक्ति जो धोखाधड़ी में लिप्त एक अपराध का एक न्यायालय के द्वारा सजायावता है तथा दस वर्षो की अवधि इस प्रकार की सजा की तिथि से समाप्त नही हुई।

(i) कोई व्यक्ति जिसकी सहायक अथवा सहयोगी कम्पनी अथवा इकाई का कोई अन्य प्रकार धारा 144 में प्रदान परामर्श तथा विशेषज्ञ सेवा में नियुक्ति की तिथि में लिप्त है। **{1 M}**

**Answer 6:**

**(a)** ऋण के अतिरिक्त दायित्व (ऊपर चर्चा की है) में व्यापार प्राप्य तथा अन्य चालू दायित्व, आस्थगित भुगतान क्रेडिट तथा प्रावधान सम्मिलित है। दायित्वों का सत्यापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सम्पत्ति का, यह विचार करते हुए यदि दायित्व छूट गया (अथवा कम वर्णित है) अथवा अति वर्णित है चिट्ठा इकाई के कार्यकलाप का सत्य तथा उचित मद नहीं दिखायेगा। **{2 M}**

आगे, एक दायित्व चालू के रूप में वर्गीकृत है यदि यह निम्न मानदंड को संतुष्ट करती हैः

- इसकी इकाई की सामान्य परिचालन चक्र में निपटारा होने की अपेक्षा है।
- इसे मुख्यतः व्यापारिक होने के उद्देश्य से रखा है।
- यह प्रतिवेदन अवधि के पश्चात् बारह माह के अंदर निपटारा के लिए देय है।
- इकाई का प्रतिवेदन अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माह के लिए दायित्व का आस्थगन का बिना शर्त का अधिकार नहीं है। दायित्व की शर्त जो प्रतिपक्ष का विकल्प पर समता प्रलेख के निर्गम के द्वारा इसका निपटारा में परिणामतः होती है, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती।

**{2 M}**

**Answer 6:**

**(b)** सम्पत्तियों का गबन :

इसमें इकाई की सम्पत्ति की चोरी लिप्त है तथा प्रायः तुलनात्मक छोटी तथा सारहीन राशि में कर्मचारियों द्वारा की जाती है। यद्यपि, इमसें प्रबंधन भी लिप्त हो सकते हैं जो प्रायः गबन को इस प्रकार छुपाने में समर्थ होते हैं कि उसका खोजना कठिन है। सम्पत्ति का गबन कई तरीके से किया जा सकता है जिसमें सम्मिलित हैः

- प्राप्ति की हेराफेरी (उदाहरण के लिए प्राप्य खाता पर संग्रहण का गबन अथवा अपलिखित खाता से व्यक्तिगत बैंक खाता में प्राप्ति को मोड़ना)
- भौतिक सम्पत्तियों अथवा बौद्धिक सम्पत्तियों को चुराना (उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत उपयोग अथवा बिक्री के लिए इवेंटरी का चुराना, पुर्नबिक्री के लिए कबाड़ का चुराना, भुगतान की विवरणी में प्रौद्योगिकी की डाटा को प्रकट कर प्रतिस्पर्द्धी के साथ साठगांठ)

**{2 M}**

- प्राप्त नहीं वस्तु तथा सेवा के लिए इकाई को भुगतान के लिए कहना (उदाहरण के लिए, कृत्रिम विक्रेता, कीमतों में वृद्धि के लिए वापिसी में इकर्इा का क्रय एजेंट को विक्रेता द्वारा भुगतान रिश्वत)।

**उदाहरण**

विनीत Zed Ex लि0 में एक प्रबंधक है। उसके पास 10,000 रुपये तक का चैक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, अंकेक्षण करते हुए अंकेक्षक राजन ने पाया कि 9,999 रुपये का काई चैक है जिस पर विनीत ने हस्ताक्षर किये। आगे, विनीत ने बड़े भुगतान को विभक्त किया (10,000 रुपये से अधिक की राशि का चेक को 10,000 रुपये से कम दो अथवा ज्यादा चैक में विभक्त किया ताकि वह भुगतान को प्राधिकृत कर सके।

**{2 M}**

इसने अंकेक्षक ने पाया गया कि अंकेक्षक ने पाया कि 9,999 रुपये के चैक को विनीत के व्यक्तिगत खाता में जमा किया अर्थात् विनीत ने राशि का गबन किया।

कम राशि में चैक को विभक्त करना खाते की गड़बड़ी में लिप्त है।

एक कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी की गयी

- व्यक्तिगत उपयोग के लिए इकाई की सम्पत्ति का उपयोग (उदाहरण के लिए इकाई की सम्पत्ति का व्यक्तिगत ऋण अथवा संबंधित पक्ष को ऋण देने के लिए प्रयुक्त करना)।

  सम्पत्ति का गबन प्रायः असत्य अथवा भ्रामक रिकार्ड अथवा प्रपत्र द्वारा संलग्न होता है ताकि इस तथ्य को छुपाया जा सके कि सम्पत्ति गुम है अथवा बिना उपयुक्त प्राधिकरण के बंधक की है।

**Answer 6:**

**(c)** बारम्बार बाहरी पुष्टि प्रक्रिया प्रासंगिक है, जब खाता शेष तथा उससे जुड़े अभिकथन को संबोधित करते हैं, परन्तु इन मदों तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए, अंकेक्षक एक इकाई तथा अन्य पक्षों के मध्य समझौता, संविदा अथवा सौदों के संदर्भ में बाहरी पुष्टि की मांग कर सकता है। बाहरी पुष्टि प्रक्रिया को कुछ शर्तो के अभाव के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रार्थना विशेष रूप से पुष्टि की मांग कर सकती है कि कोई ''साइड समझौते'' विद्यमान नहीं है जो इकाई की राजस्व कट ऑफ अभिकथन से प्रासंगिक है। अन्य स्थिति जहां पर बाहरी पुष्टि प्रक्रिया सारवान मिथ्या विवरण की समीक्षा जोखिम के प्रत्युत्तर में प्रासंगिक अंकेक्षण साक्ष्य प्रदान कर सकता हैः

**{1 M}**

- बैंकिंग संबंध से प्रासंगिक बैंक शेष तथा अन्य सूचना
- खाता प्राप्य शेष तथा अवधि
- प्रक्रियागत अथवा प्रेषण के लिए माल भण्डारण गृहों पर तृतीय पक्ष द्वारा धारित स्कंध
- सुरक्षा अमानत अथवा सुरक्षा के लिए वकीलों अथवा वित्त प्रदानकर्ता द्वारा धारित सम्पत्ति हक विलेख
- तृतीय पक्षकारों के द्वारा सुरक्षित रखने के लिए धारित निवेश अथवा स्टॉक ब्रोकर्स से क्रय परन्तु तुलनपत्र तिथि तक सुपुर्दगी नहीं।
- पुर्नभुगतान की प्रासंगिक शर्त तथा प्रतिबंध संविदा सहित लेनदारों को देय राशि
- खाता भुगतान योग्य शेष तथा अवधि।

**{Any 4 Point Each 1/2 Mark}**

**Answer 6:**

**(d)** अंकेक्षण तथा कानून के मध्य संबंध काफी नजदीकी हैं। अंकेक्षण में क्या अथवा इन सौदों को सही ढंग से प्रविष्ट किया है, के मत से विभिन्न सौदो का परीक्षण लिप्त है यह आवश्यक करता है कि अंकेक्षक की इकाई को प्रभावित करने वाला व्यापार कानून का अच्छा ज्ञान है। यह संविदा का कानून, पराक्रमय प्रलेख इत्यादि के साथ परिचित होना चाहिए। कराधान कानून का ज्ञान भी आवश्यक है क्योंकि इकाई को विभिन्न कर कानून के द्वारा प्रभावित विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखकर अपने वित्तीय विवरण को तैयार करना होता है। विभिन्न सौदों विशेष रूप से लेखांकन पक्ष का प्रभाव का विश्लेषण में एक अंकेक्षक का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर कानून के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए।

**{1 M}** **{1 M}** **{1 M}**

`

***